संख्या—..........5542

दिनांक— 31.1.14

सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण – पत्र

(अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन)

नवीनीकरण संख्या— 1599 / 2013—14

फाईल संख्या— K-7722

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि *जन सेवा आश्रम सन्त नगर ग्रा0 पो0— ढकौली, जनपद— फतेहपुर (उ0प्र0)*

को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण—पत्र संख्या— 1797 / 1988—89

दिनांक 20.12.1988 को दिनांक 20.12.2013 से पॉच वर्ष की अवधि के लिए नवीकृत किया गया है।

₹ 1000 / — नवीनीकरण फीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है।

दिनांक— 29.01.2014

True copy

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश।

JAN SEWA ASHRAM
65-E Munirka, New Delhi-67

संशोधित स्मृति-पत्र

१ संस्थाका नाम :- जन सेवा आश्रम

२ संस्था का पता :- सन्त नगर, ग्रा० व पो० ढकौली, जनपद– फतेहपुर उ० प्र०

३ संस्था का कार्यक्षेत्र :- सम्पूर्ण भारत

४ / संस्था के उददेश्य :-

१ राष्ट्रीय एकता एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम, पुस्तकालय तथा वाचनालय सिनेमा आदि के द्वारा लोगो को स्वस्थ निःशुल्क मनोरंजन करना।

२ स्वास्थ शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा तथा कल्याणकारी कार्यक्रमो, जैसे परिवार कल्याण अल्प–बचत आदि कार्यक्रमो को आगे बढ़ाना।

३ विक्लांगों तथा विधवाओं व समाज से उपेक्षित महिलाओ व पुरुषों तथा बालको का निःशुल्क पालन–पोषण करना।

४ काम काजी और बीमार महिलाओं की सहायता करना बालकल्याण कार्यक्रमो को निःशुल्क संचालित करना तथा उनको तकनीकी प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार पूरक शिक्षा देना ।

५ खादी तथा ग्रामोद्योग, ग्रामीण प्राद्यौगिकी, स्थानान्तरण, यान्त्रिक आविष्कारो का उन्नयन करना तथा ग्रामीण तकनीकी प्रशिक्षण के माध्यम से सुधरी हुई तकनीकी का प्रचार–प्रसार करना।

६ बीस सूत्री कार्यक्रम के तहत आई०आर०डी०पी० स्पेशल कम्पोनेन्ट आदि कार्यक्रमो का प्रचार–प्रसार।

७ आश्रम पद्धतीय विद्यालयों के माध्यम से देश के बालको तथा बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा देना।

[illegible] उन सभी प्रकार के कार्यक्रमो को संचालित करना जिसमे चल–अचल के हित सन्नहित हो एवं विधिमान्य हो।

९ संस्था विकास कार्यक्रमों एवं अन्य आर्थिक कार्यक्रमों को संचालित हेतु सरकार, बैंक व गैरसरकारी संस्थाओं तथा जो संस्थाएं विकास एवं कल्याणकारी कार्यक्रमों मे रुचि रखते हो उनसे ऋण, अनुदान इत्यादि प्राप्त कर सकेगी।

पदाधिकारियों / सदस्यों के नाम व पते जिनको संस्था के नियमों के अनुसार कार्यभार सौंपा गया।

क्र०सं०	नाम	पद	पता	व्यवसाय
१	श्री संतराम दीक्षित	अध्यक्ष	मकान नं० ६२–डी/ एल ब्लाक साकेत न०दि०१७	शिल्पविज्ञानी
२	श्री राधेश्याम गुप्ता	उपाध्यक्ष	ग्रा० चक काजीपुर पो०शाह फतेहपुर	कृषि
३	श्री रामचन्द्र	सचिव	ग्राम व पो०सिधाव, फतेहपुर	कृषि
४	प्रेम चन्द्र	उप सचिव	ग्रा०व्पो०कंडाघाट जिला सोलन हि०प्र०	स्वयंसेवी
[illegible]	कु० मंजू बाला	कोषाध्यक्ष	तकनीकीपुरम, जाबली, सोलन	नौकरी
[illegible]	श्री जगदीप सिंह	सदस्य	१०२ कमला नगर, हिसार	इंजीनियर
७	श्री प्रमोद कुमार	सदस्य	ग्रा व पो० बहुआ, फतेहपुर	कृषि
८	श्री नारायण सिंह	सदस्य	ग्रा व पो० मही,कंडाघाट सोलन हि०प्र०	कृषि
९	श्री टी० एन० सुब्रामनियम	सदस्य	थक्कमपरम्बाथू माना, पो०बेनीनेली पालघाट [illegible]ला	कृषि
१०	श्री रण विजय सिंह	सदस्य	गौतम नगर, फतेहपुर उ०प्र०	कृषि

६ हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता उपरोक्त स्मृतिपत्र के अनुसार अपनी संस्था को एक्ट–२१ की धारा १८६० के अन्तर्गत सोसाइटीज रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अन्तर्गत रजिस्टर्ड कराना चाहते है।

प्रतिलिपि

संशोधित नियमावली

1. संस्था का नाम : जन सेवा आश्रम

2. संस्था का पता : सन्त नगर, ग्राम व पो0- ढकौली, जनपद-फतेहपुर, (उ0प्र0)

3. संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण भारत वर्ष

4. संस्था का पंजीकृत कार्यालय : सन्त नगर, ग्राम व पोस्ट- ढकौली, जनपद- फतेहपुर (उ0प्र0)

5. संस्था की सदस्यता :

साधारण सदस्य :

जाति वर्ग लिंग भेदभाव के बिना कोई व्यक्ति शिक्षित अथवा अशिक्षित शुल्क जमा कर सदस्य बन सकता है, प्रतिबन्ध यह है कि वह पागल दिवालिया, अथवा चारित्रिक दोषों का अपराधी न हो।

मनोनीत सदस्य :

संस्था किसी भी योग्य व्यक्ति को जो समाज कल्याण कार्यक्रमों में रूचि लेता हो उसे मनोनीत कर सकेगी। परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि चुनाव में भाग नहीं ले सकेगा। शुल्क भी नहीं लिया जायेगा।

शुल्क :

साधारण सदस्य को 101/- रूपये वार्षिक, तथा आजीवन सदस्य को 2000 रूपये नगद या इसके मूल्य की चल व अचल सम्पत्ति देनी होगी। मनोनीत सदस्यों से कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा।

सदस्यता की समाप्ति :

संस्था निम्न कारणों से सदस्यता से वंचित कर सकती है जैसे सदस्यता शुल्क न देना, शासन द्वारा दोषी किये जाने पर नियमों का उल्लंघन करने पर लगातार बिना कारणों के दो बैठकों में अनुपस्थित रहने पर या त्याग पत्र देकर अलग हो सकता है।

प्रबन्ध समिति:

पदाधिकारी :

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, उपसचिव, कोषाध्यक्ष सहित शेष पांच सदस्य होंगे।

सत्य प्रतिलिपि

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
इलाहाबाद

...2

बैठक :

कार्यकारिणी समिति की सामान्य बैठकें प्रत्येक छमाही में अवश्य होगी। इसके लिए 15 दिन का नोटिस अनिवार्य होगा।

कोरम :

कार्यकारिणी बैठक के लिए कम से कम 6 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। परन्तु स्थगित बैठकों में यह नियम लागू नहीं होगा।

रिक्त स्थानों की पूर्ति :

किसी भी पदाधिकारी अथवा कार्यकारिणी सदस्य का स्थान रिक्त होने पर शेष अवधि के लिए उसकी पूर्ति कार्यकारिणी बहुमत के आधार पर करेगी।

प्रबन्ध समिति के कर्तव्य :

1. समिति के समस्त कार्यों को संचालित करना।
2. सभी प्रकार के कार्यक्रमों को देखना तथा सही क्रियान्वयन हेतु कार्यक्रम सुनिश्चित करना।
3. साधारण सभा द्वारा पास किये गये प्रस्तावों को क्रियान्वयन करना।
4. बजट प्रस्तावों को स्वीकृत कराना।

कार्यकाल :

प्रबन्ध समिति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा तथा यह कार्यकाल एक जनवरी सन् 1984 से माना जायेगा।

8. **पदाधिकारियों के कर्तव्य :**

अध्यक्ष :

संस्था की उन्नति हेतु विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को तैयार करना, उनका क्रियान्वयन तथा बैठकों की साधारण सभा तथा कार्यकारिणी समितियों की बैठकों की अध्यक्षता करना एवं उनमें अनुशासन बनाये रखना, समिति की साधारण सभा की बैठकों हेतु आदेश पारित करना, अध्यक्ष ही संस्था की समस्त चल-अचल सम्पत्ति का जिम्मेदार होगा। अनुशासनहीन सदस्यों के विरूद्ध आदेश पारित करेगा सम्पूर्ण हिसाब-किताब देखेगा तथा आय-व्यय का सम्पूर्ण जिम्मेदार होगा।

....3

सत्य प्रतिलिपि

सहायक रजिस्ट्रार
सोसाइटीज तथा चिट्स
इलाहाबाद

संस्था की ओर से अथवा संस्था के ऊपर चलाये गये मुकदमों आदि का जिम्मेदार होगा।

उपाध्यक्ष :

अध्यक्ष के अनुपस्थित में उसके समस्त अधिकारों को प्रयोग करना अध्यक्ष द्वारा सौंपे गये कार्यो में उसकी मदद करना।

सचिव

संस्था की प्रगति रिपोर्ट तैयार कर तथा सभी प्रकार की आख्या साधारण सभा अथवा प्रबन्ध समिति के समक्ष रखेगा तथा समय-समय पर संस्था की बैठकों का आयोजन करना, कार्यक्रम तैयार कराना तथा उनके सम्पादन में कार्य करना।

संयुक्त सचिव :

सचिव के अनुपस्थित में उसके कर्तव्यों का पालन करना, तथा सचिव द्वारा सौंपे गये कार्यो का क्रियान्वयन कराना।

कोषाध्यक्ष :

समिति हेतु धन प्राप्त करेगा व उसकी रसीद देगा। प्राप्त धन को 15 दिन के अन्दर बैंक अथवा डाकखाने में संस्था के खाते में जमा करेगा। आय-व्यय का रजिस्टर, कैश बुक, लेजर, बाउचर, आदि का रखरखाव करेगा तथा उक्त रिकार्ड भी तैयार करेगा।

साधारण सभा :

गठन :

सभी साधारण सदस्यों तथा मनोनीत सदस्यों की साधारण सभा बनेगी।

बैठकें :

वर्ष में एक बार बैठक 15 दिन की नोटिस पर माह मार्च में बुलाई जायेगी।

कोरम :

साधारण सभा के कुल सदस्यों का 1/3 भाग कोरम होगा, स्थगित बैठकों में यह प्रतिबन्ध मान्य नहीं होगा।

निर्णय : समस्त निर्णय बहुमत के आधार पर माने जायेंगे।

सत्य प्रतिलिपि

10. साधारण सभा के कर्तव्य :

कार्यकारिणी समिति के सदस्यों व पदाधिकारियों का चुनाव करना, स्मृति पत्र, नियमावली में संशोधन करते हुए बजट प्रस्तावों को स्वीकार करना। सचिव से कोई भी आख्या मांगना।

11. फण्ड्स :

प्रवेश सदस्यता प्राप्त से सरकारी सहायता व अनुदान से, दान, चन्दे द्वारा तथा संस्था की सामूहिक आर्थिक योजनाओं से।

12. व्यय सम्बन्धी अधिकार :

अध्यक्ष 50,000/-रू0 कोषाध्यक्ष, 10,000/- रू0, प्रबन्ध समिति 20,00,000/- रू0 उपसमितियां 5,00,000/- रूपये तक शेष प्रबन्ध समिति अथवा साधारण सभा की अनुमति से नियमानुसार व्यय किया जा सकेगा।

13. संस्था के आय-व्यय का लेखा परीक्षण :

संस्था वर्ष में एक बार आय-व्यय का लेखा परीक्षण चार्टड एकाउन्टेन्ट द्वारा करायेगी।

14. संस्था के अभिलेख :

सदस्यता रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, कैश बुक, स्टाक रजिस्टर, निरीक्षण एवं सुझाव पुसितका, सदस्यता तथा जो भी अभिलेख आवश्यक होंगे, संस्था रख सकेगी।

15. विघटन :

संस्था की साधारण सभा के सदस्यों की उपस्थित 3/5 बहुमत से विघटन का निर्णय किया जायेगा। विघटन की स्थिति में सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के नियम 13 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

16. कानूनी उत्तरदायित्व :

अध्यक्ष ही समस्त कानूनी उत्तरदायित्व के लिए जिम्मेदार होगा। तथा सभी मुकदमें फतेहपुर न्यायालय में जो संस्था द्वारा व संस्था के ऊपर चलाये जायेंगे व चलेंगे।

सत्य प्रतिलिपि

उप रजिस्ट्रार फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स

7. कोषः

संस्था का खाता समीप के किसी भी बैंक में संस्था के नाम खोला जायेगा जो अध्यक्ष व कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों द्वारा संचालित होगा। किन्तु अध्यक्ष को 50,000/- रू0 स्वयं के हस्ताक्षर से व कोषाध्यक्ष 20,000/- रू0 स्वयं के हस्ताक्षर से चेक व धन का आहरण कर सकेंगे। किन्तु इससे ज्यादा धन भी आहरण करने हेतु संयुक्त हस्ताक्षरों (अध्यक्ष व कोषाध्यक्ष) की आवश्यकता होगी। संस्था की प्रबन्ध कार्यकारिणी बैंक से धन के आहरण हेतु स्थानीय दो प्रतिनिधि भी नियुक्त कर सकती है जो अलग-अलग स्वयं के हस्ताक्षरों से 10,000/- रूपये तक तथा इससे अधिक धन का आहरण करने हेतु दोनों प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर अनिवार्य होंगे।

सत्य प्रतिलिपि

दिनांक 16/6/99

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज़ एवं चिट्स
इलाहाबाद

आयकर विभाग

INCOME TAX DEPARTMENT

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

GOVT. OF INDIA

JAN SEWA ASHRAM

20/12/1988

Permanent Account Number

AAAAJ9259M

15022011